भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी ;

(क) पच्चीस प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

(ख) पचपन प्रतिशत,मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों मे से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ग) अट्ठारह प्रतिशत,मौलिक रूप से नियुक्त संग्रह अमीनों मे से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(घ) दो प्रतिशत,मौलिक रूप से नियुक्त भूमि अधिग्रहण अमीनों मे से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितो और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग चार — अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7.सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उ0प्र0 से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें ,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है